

UPGZ010108202014



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०) गाजियाबाद।

उपस्थित: अमित कुमार प्रजापति (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.ID No-UP 6330

सी.एन.आर.नं. यू पी जी जैड ओ 1010820 2014

कम्प्यूटर रजि० नं० 1140/2014

सत्र परीक्षण सं०-1140 सन 2014

सरकार

बनाम

विनोद पुत्र गिरधारी लाल जाटव

निवासी-ग्राम-दुहाई, थाना-मुरादनगर,

जिला गाजियाबाद।

धारा-302 भा० द० सं०

थाना-मसूरी, गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-414/2014

निर्णय

1- पुलिस थाना-मसूरी जिला-गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण विनोद एवं दीपक कुमार के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र मु० अ० सं० -414/2014 धारा- 302 भा० द० सं० पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा केस दर्ज किया गया, तथा अभियुक्तगण को आहूत किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण के मामले को विचारण हेतु दिनांक 14-06-2014 को माननीय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद को सुपुर्द किया गया, और माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त केस सुनवाई हेतु इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया। अभियुक्त दीपक कुमार की पत्रावली न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02-01-2020 से पृथक की गयी। इस प्रकार इस सत्र विचारण में अभियुक्त विनोद का ही विचारण किया जा रहा है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुनील कुमार शर्मा पुत्र शर्मानन्द शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 राजेश कुमार पुत्र रमेश चन्द शर्मा द्वारा लिखवाकर थाना मसूरी पर इस कथन के साथ दी कि उसके चाचा जयवीर शर्मा पुत्र नन्द किशोर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद जो पेशे से वकील थे और गाजियाबाद में वकालत करते थे, उसके चाचा जयवीर शर्मा ने शादी नहीं की थी, वे अपनी वेगनआर गाड़ी सं०-UP 14 BY 2708 से वकालत करने कचेहरी आते थे, उनकी गाड़ी को उसने गांव का ही विनोद कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाटव चलाकर लाता था, जो उनका निजी ड्राइवर था और मासिक वेतन लेता था। उसके चाचा जयवीर शर्मा विनोद कुमार के घर पर ही कभी कभी चले जाते थे। दिनांक 30-04-2014 को रोजाना की तरह उसके चाचा जयवीर

शर्मा अपनी वेगनआर गाड़ी सं०-UP 14 BY 2708 से समय करीब प्रातः 9-30 बजे गाजियाबाद को चले थे। गाड़ी को विनोद कुमार चलाकर लाया था तथा विनोद कुमार के साथ में उसका भांजा दीपक कुमार पुत्र चन्द्रपाल जाटव निवासी ग्राम चमरावल थाना बागपत जिला बागपत भी साथ आया था और उसके चाचा जयवीर शर्मा को विनोद व उसके भांजे दीपक के साथ उसने व गांव के अन्य कई लोगो ने देखा था। विनोद व दीपक दोनों ही उसके चाचा को उनकी गाड़ी से गाजियाबाद कचेहरी न ले जाकर, भूङ्गढी बम्बा निकट जेवा फार्म हाऊस क्षेत्र थाना मसूरी ले आये और विनोद व उसके भांजे ने उसके चाचा जयवीर शर्मा की उनकी वेगनआर गाड़ी में ही गला घोटकर व चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी और उसके चाचा जयवीर शर्मा की लाश को गाड़ी में छोड़कर भाग गये, जिसकी सूचना भूङ्गढी के चौकीदार ने थाना मसूरी को दी। सूचना पर वह और उसके पिता व अन्य परिवार वाले गांव के कुछ लोग को साथ लेकर मौके पर आये और सभी ने चाचा जी की लाश को देखा। उसके चाचा जी कुंवारे थे, उनका आना जाना ड्राईवर विनोद के घर पर था और विनोद की पत्नी से उनकी नजदीकिया थी। इसी कारण विनोद ने अपने भांजे दीपक कुमार के सहयोग से उसके चाचा जयवीर शर्मा की हत्या की है, जिसका उसे पूरा यकीन है।

3- वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना -मसूरी जिला- गाजियाबाद में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०सं० 414/2014 अंतर्गत धारा 302 भा० द० सं० पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना एस० आई० सुबोध कुमार द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के बयान लिये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्शक-14 तैयार किया। पंचायतनामा प्रदर्शक-2 कराया। एस०आई० जय किशन से चालान नाश, फोटो नाश, चिड्डी सी०एम०ओ०, नमूना मोहर प्रदर्शक-7 ता प्रदर्शक-10 तैयार कराये। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा० द० सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्शक-15 प्रेषित किया गया।

4- अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण विनोद कुमार एवं दीपक कुमार के विरुद्ध दिनांक 24-12-2014 को धारा-302 भा० द० सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्त दीपक कुमार की पत्रावली न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-01-2020 से पृथक की गयी। इस प्रकार इस सत्र विचारण में अभियुक्त विनोद कुमार का ही विचारण किया जा रहा है।

5- अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी० डब्लू० 1 वादी मुकदमा सुनील शर्मा, पी० डब्लू० 2 शर्मा नन्द, पी० डब्लू० 3 डा० किशोर कुमार, पी० डब्लू०-4 सुनीलए पी० डब्लू०-5 एच०सी०पी० ओम प्रकाश, पी० डब्लू०-6 एस०आई० जय किशन, पी० डब्लू०-7 सुभाष अत्री, पी० डब्लू०-8 स्वाती तोमर पी० डब्लू०-9 निरीक्षक सुबोध कुमार एवं पी० डब्लू०-10 चरन सिंह को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी पेश नहीं किया गया।

6- अभियोजन साक्षी सं०-1 सुनील शर्मा वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक जयवीर शर्मा उसके चाचा लगते थे, जो पेशे से वकील थे और गाजियाबाद में प्रेक्टिस करते थे। उसके चाचा ने शादी नहीं की थी। उसके चाचा गाजियाबाद में अपनी गाड़ी वेगनआर जिसका नम्बर UP 14 BY 2708 से आते थे। उसके चाचा की गाड़ी मुल्जिम

विनोद चलाता था। उसके चाचा कभी कभी उसके घर चाचा बुलाने पर चले जाते थे। विनोद भी ग्राम दुहाई का रहने वाला था। यह घटना दिनांक 30-04-2014 की है, उस दिन उसके चाचा अपनी गाड़ी से लगभग 9-30 बजे सुबह निकले थे, उनके साथ विनोद व उसका भांजा दीपक भी गाड़ी में मौजूद था। विनोद गाड़ी चला रहा था। वह दीपक को पहचानता है जो हाजिर अदालत है। उसने व अन्य गली वालों ने चाचा जयवीर के साथ विनोद व दीपक को साथ जाते देखा था। उसके बाद उसके चाचा की लाश भूङ्गड़ी बम्बा के पास जेवर फार्म हाऊस मसूरी में मिली थी। उनके सिर में चोट लगी थी। विनोद व दीपक गाड़ी छोड़कर भाग गये थे।

इस घटना की सेचना थाना मसूरी पर भूङ्गड़ी के चौकीदार ने दी थी। इस सूचना पर वह व उसके पिता व अन्य परिवार के लोग घटना स्थल पहुंचे थे। वहां चाचा की लाश गाड़ी में पड़ी थी। विनोद की पत्नी से उसके चाचा की नजदीकियां थी इसलिए विनोद ने अपने भांजे दीपक के साथ मिलकर उसके चाचा की हत्या कर दी। इस घटना की तहरीर बोल-बोलकर राजेश पुत्र रमेश चन्द शर्मा से लिखाई थी, जो उसने बोला था वही उसने लिखा था। पढ़कर सुनाया दिया था। फिर उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसे प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया।

उसी दिन उसके चाचा जयवीर का पंचायतनामा पुलिस वालों ने मौके पर भरा था। पंच नियुक्त किये गए थे। मृत्यु का सही कारण पता लगाने के कारण शव को सील सर्वे मोहन करके पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया। पंचनामों पर लिखा पढ़ी होने पर, पंचों के हस्ताक्षर कराये थे। पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए, पंचनामों को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया।

7- अभियोजन साक्षी सं०-2 शर्मानन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक जयवीर उसका छोटा भाई था। मृतक जयवीर उसके घर के पास ही रहता था। घटना दिनांक 30-04-2014 की है। मृतक जयवीर गाजियाबाद में वकालत करते थे। वह पनी गाड़ी वेगनआर जिसका नम्बर- UP 14 BY 2708 से गाजियाबाद आता जाता था। उस गाड़ी को विनोद चलाता था, जिसे अंकन 6000/-रुपये प्रति माह उसका भाई जयवीर देता था, जो रोज कचेहरी लाता था तथा वही से घर ले जाता था। उसने सुना था कि मृतक जयवीर के विनोद की पत्नी से अवैध सम्बन्ध हो गये थे, जिस कारण विनोद उसके भाई से रंजिश मानता था। दिनांक 30-04-2014 को भी सुबह विनोद व उसका भांजा उसके भाई जयवीर कचेहरी के लिए आए थे और रास्ते में उसके भाई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसकी सूचना उसे गांव में मिली थी, इस सूचना पर वह लाश के पास भूङ्गड़ी बम्बे पर गया था तो उसने देखा कि उसका भाई जयवीर की लाश उसकी वेगनआर कार में पड़ी थी। मृतक का कोई पता नहीं था। पुलिस ने मौके पर आकर लाश का पंचायतनामा भरा था, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है। लाश को मौके पर सील सर्वे मोहर करके पोस्ट मार्टम हेतु भेजा दिया था। इस पंचायतनामों, के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसके बयान लिए थे। अभियुक्त विनोद को देखकर कहा कि वह उसके भाई मृतक जयवीर की गाड़ी चलाता था।

8- अभियोजन साक्षी सं०-3 डा० किशोर कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30-04-2014 को संयुक्त जिला चिकित्सालय सैक्टर-1 गाजियाबाद में कार्यरत था। उसी दिन उसके द्वारा रात 7-15 बजे कृत्रिम लाईट में मृतक जयवीर सिंह का पोस्ट मार्टम जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया। मृतक के शव को कां० प्रमोद कुमार एवं कां० सोबरन सिंह थाना मसूरी लेकर आये थे। उन्हीं के द्वारा शिनाख्त की गयी थी।

बाह्य परीक्षण:-

मृतक सामान्य कद काठी का व्यक्ति था। मृतक के शरीर के ऊपरी हिस्से पर मृत्यु के पश्चात की अकड़न मौजूद थी तथा निचले हिस्से की अकड़न बढ़ रही थी। मृतक की आंखें बन्द थी तथा कन्जस्टडी थी तथा मृतक की नाम से खून आ रहा था।

चोट नं०-1 कनटूजियन (contusion) 3 X 3 Cm जो कि गले के सामने से बीच वाले हिस्से पर left side में मौजूद थी।

चोट नं०-2 कनटूजियन (contusion) 5 X 3.5 Cm जो गले के राईट साईड में बीच वाले हिस्से में मौजूद थी। इस चोट का आन्तरिक परीक्षण करने पर अन्दर की मसल एवं टीसू Eccymosed हो गया था। इसी चोट के कारण दायड बोन के दोनो कार्नू टूट गये थे।

उपरोक्त चोटों के कारण दीमाग की झिल्लियां फेफड़ों एवं फेफड़ों की झिल्लियां तथा आते कनजस्टिड हो गयी थी। उसकी राय में मृतक की मृत्यु गला घोटने के कारण पोस्ट मार्टम करने के लगभग 18 घण्टे पहले होना सम्भव है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बरवक्त पोस्ट मार्टम तैयार की गई थी, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया।

9- अभियोजन साक्षी सं०-4 सुनील ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह वादी व अलेराम घटना स्थल पर गया था। वहां पहले से काफी लोग जमा थे तथा पुलिस मौजूद थी। जयवीर शर्मा के शव को पुलिस ने कपड़े में रखकर सर्वे सील मोहर किया था। मौके पर पंचायतनामा तैयार किया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने करवाए थे। पंचायतनामों पर अपने हस्ताक्षर शनाख्त किए जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-2 डला है।

10- अभियोजन साक्षी सं०-5 एच०सी०पी० ओम प्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह थाना मसूरी पर एच०सी० के पद पर तैनात था। उस दिन कार्यालय में उसके साथ एच०सी० खजान सिंह व कम्प्यूटर पर तैनात महिला कां० स्वाति तोमर मौजूद थी। उस दिन वादी सुनील कुमार शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-414/2014 अन्तर्गत धारा-302 भा०द०सं० बनाम विनोद कुमार आदि पंजीकृत किया गया था, जिसका जी०डी० में खुलासा उसके द्वारा असल के साथ कार्बन लगा कर जी० डी० सं०-35 समय 15.25 बजे किता की। असल जी०डी० साथ लेकर आया है, पत्रावली पर मौजूद कार्बन प्रति को असल के मुताबिक होने के कथन के साथ प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया। जिसकी चिक कम्प्यूटर से महिला कां० स्वाति तोमर द्वारा तैयार की गयी, जिसे प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया। उसी दिन उसके सामने मौजूद एच०सी० खजान सिंह द्वारा चौकीदार हरफूल सिंह द्वारा दी गयी एक तहरीर के आधार पर, उसके असल के साथ कार्बन लगाकर जी०डी० सं०-25 समय 11.40 को किता की गयी। जिसकी कार्बन प्रति को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया।

11- अभियोजन साक्षी सं०-6 रिटायर्ड एस० आई० जय किशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह थाना मसूरी पर बतौर जेल इन्चार्ज तैनात था। उस दिन थाने पर हरफूल चौकीदार द्वारा एक लिखित रपट इत्तला दी गयी थी। जंगल ग्राम भूडगढ़ी जेवा फार्म हाऊस बम्बा रोड़ के पास एक व्यक्ति की लाश वेगनआर गाड़ी में अन्दर पड़ी है। इस इत्तला पर वह एस०ओ० के आदेश पर अपने साथ कां० प्रमोद कौशिक व कां० सोबरन

सिंह के साथ मय दीर कागजात पंचनामा जिल्द लेकर मौके पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे ही एस०ओ० साहब भी मौके पर आ गये थे। मृतक जयवीर शर्मा एडवोकेट के पंचनामों की कार्यवाही उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी और उसके बाद एस०ओ० साहब द्वारा मृतक जयवीर शर्मा एडवोकेट की लाश की वीडियोग्राफी कराई गयी। मौके पर मृतक का भाई व उसके परिवार वाले मौजूद थे। उनमें से पंचान नियुक्त कर, शव उनको दिखाकर व स्वयं शव का निरीक्षण करते हुए, पंचायतनामा की कार्चाही प्रारम्भ कर, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटो नाश, चिड्डी सी०एम०ओ०, नमूना मोहर तैयार कर, मृतक के शव को एक कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहन कर कां० सोबरन सिंह व प्रमोद कौशिक को पोस्ट मार्टम कराने हेतु मोरचरी के लिये सुपुर्द किया गया। पंचायतनामों पर पंचान के हस्ताक्षर मौके पर कराये। पंचायतनामा प्रदर्श क-2, चालान नाश, फोटो नाश, चिड्डी सी०एम०ओ०, नमूना मोहर को प्रदर्श क-7 ता प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया।

12- अभियोजन साक्षी सं०-7 सुभाष अत्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह थाना मसूरी पर नियुक्त था। समय करीब 17-30 बजे हवालात मर्दाना से बाउम्मीद बरामदगी अभियुक्त दीपक को लेकर हमराहीयान एस०सी०पी० सुभाष चन्द, कां० संजय व कां० दिलशाद के सरकारी गाड़ी चालक प्रेमचन्द के साथ भूडगढ़ी रजवाहे के पास पहुंचकर, जनता के गवाहान बनाने का प्रयास किया गया। भलाई बुराई के कारण कोई गवाह तैयार नहीं हुआ, मजबूर होकर एक पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर कि मुकदमा सम्बन्धी कोई नाजायज वस्तु तो नहीं है। अभियुक्त दीपक कुमार पुलिस वालों की जीप सरकारी को भूडगढ़ी बम्बा की पटरी जेवा फार्म हाऊस के पास ले गया और फार्म हाऊस के पास खजूर के पास गाड़ी खड़ी कराकर गाड़ी से नीचे उतर रजवाहे भूडगढ़ी बहते पानी से एक तमन्चा 315 बार समय करीब 10-30 बजे निकालकर दिया और बताया कि यह वही तमन्चा है जो घना के बाद हमने पाने में फेंक दिया था। तमन्चे को खोलकर देखा तो एक कारतूस फंसा था, जिसे बाहर निकाल कर तमन्चा व कारतूस को एक सफेद कपड़े में सीलकर नमूना मोहर तैयार कर तथा अभियुक्त को धारा-25/27 आयुध अधिनियम से अवगत कराया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग से अवगत कराया गया। फर्द मौके पर बोल-बोलकर एच०सी०पी० सुभाष को लिखाई गयी तथा पढ़कर सुनाई गयी। हमराही के हस्ताक्षर कराये गये और फर्द की एक नकल अभियुक्त को दी गयी, जिस पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन के साथ प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया। न्यायालय के आदेशानुसार एक सील बन्द पुलिन्दा मु०अ०सं०-415/2014 सरकार बनाम दीपक कुमार धारा-25/27 आयुध अधिनियम थाना मसूरी खोला गया, जिसमें से एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 31 बोर निकला। तमंचा को वस्तु प्रदर्श-1, जिन्दा कारतूस को वस्तु प्रदर्श-2 तथा कपड़े को वस्तु प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया।

13- अभियोजन साक्षी सं०-8 कां० स्वाति तोमर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह थाना मसूरी पर वह महिला कांस्टेबिल के पद पर तैनात थी। उस दिन वादी सुनील कुमार शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-414/2014 धारा-302 भा०द०सं० दर्ज हुआ था जिसकी चिक एफ०आई०आर० सं०-199/2014 उसके द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गयी, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-5 डाला गया है। दिनांक 31-04-2014 को एस०आई० सुभाष खत्री द्वारा किता फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 415/2014 धारा-25/27 आयुध अधिनियम की एफ०आई०आर०

चिक उसके द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गयी, जिसे प्रदर्श क-12 के रूप में साबित किया। इस मुकदमें का खुलासा जी०डी० सं०-47 समय 17.45 पर कां० रिषीपाल सिंह द्वारा किया गया, जिनके लेख व हस्ताक्षर को पहचाने के कथन के साथ जी०डी० को प्रदर्श क-13 के रूप में साबित किया।

14- अभियोजन साक्षी सं०-9 निरीक्षक सुबोध कुमार सक्सैना ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30-04-2014 को वह बतौर थानाध्यक्ष थाना मसूरी पर तैनात था। उस दिन थाने पर मु०अ०सं० 414/2014 धारा-302 भा०द०सं० पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी। उसी दिन सी०डी० प्रथम उसके द्वारा नकल चिक, नकल रपट, सूचना, बयान एफ०आई०आर० लेखक महिला कां० स्वाती तोमर तथा जी०डी० लेखक ओम प्रकाश के कथन, बयान जी०डी० लेखक खजान सिंह अंकित किए और मकदमा कायमी की नकल रपट अंकित की गयी और बयान वादी सुनील कुमार, उपनिरीक्षक जय किशन, बयान गवाहान पंचांग शर्मा नन्द, सुनील कुमार शर्मा, चेतन शर्मा और तहरीर लेखक राजेश कुमार शर्मा अंकित किए और घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ प्रदर्श क-14 के रूप में साबित किया। अभियोग से सम्बन्धित विनोद एवं दीपक की गिरफ्तारी की गयी और दोनो अभियुक्तगण के बयान अंकित किए गए और जुल्म इकबाल किया गया, जिसका तस्करा व रोजनामचा में अंकित किया गया। अभियुक्त दीपक की निशानदेही पर एस०आई० सुभाष चन्द के द्वारा घटना स्थल के पास से एक तमंचा 315 व एक कारतूस बरामद किया गया। दिनांक 4-5-2014 को सी०डी० द्वितीय में थाना कार्यालय से प्राप्त मृतक जयवीर शर्मा के पंचायतनामा व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की नकल अंकित की गयी। दिनांक 21-05-2014 सी०डी० तृतीय में पोस्ट मार्टम कराने वाले कर्मचारी कां० प्रमोद कौशिक व कां० सोबरन सिंही के कथन अंकित किए। पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्टर के भी कथन अंकित किए। उसी दिन अभियुक्त विनोद व अभियुक्त दीपक जुल्म इकबाल, तमाम बयान व साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित होने पर, उसके द्वारा धारा-302 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ प्रदर्श क-15 के रूप में साबित किया। तस्करा पूछताछजी०डी० 42 समय 17-20 बजे अंकित है जो दिनांक 30-04-2014 की कार्बन कापी है, जिसे असल के मुताबिक होने के कथन के साथ प्रदर्श क-16 के रूप में साबित किया।

15- अभियोजन साक्षी सं०-10 चरन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01-05-2014 को वह थाना मसूरी पर एस०सी०पी० के पद पर तैनात था, थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०-415/2014 धारा-25/27 आयुध अधिनियम सरकार बनाम दीपक की विवेचना उसे प्राप्त हुई। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात नकल चिक, नकल रपटा प्राप्त कर केस डायरी में अंकित किया तथा एफ०आई०आर० लेखक महिला कां० स्वाती तोमर, जी०डी० लेखक एच०सी० के बयान केस डायरी में अंकित किए। दिनांक 10-06-2014 को पर्चा द्वितीय किया गया गया जिसमें वादी मुकदमा एस०आई० खत्री का बयान तथा कां० संजय सिंह व कां० दिलशाद का बयान केस डायरी में अंकित किया गया तथा एस०सी०पी० सुभाष का बयान केस डायरी में अंकित किया गया तथा एस०सी०पी० प्रमोद चन्द की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, जिसे प्रदर्श क-17 के रूप में साबित किया। साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दीपक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ प्रदर्श क-18 के रूप में

साबित किया। अभियोग चलाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद का आदेश दिनांक 24-06-2014 प्राप्त किया, जिसकी नकल केस डायरी में की, जिसे प्रदर्श क-18 के रूप में साबित किया।

16- अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द 0 प्र 0 सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गलत मुकदमा चलाना तथा झूठे बयान देना कहा है, तथा कहा है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। वह निर्दोष है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया परन्तु कोई सफाई साक्ष्य नहीं दी।

17- मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

18- विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त विनोद कुमार ने सह अभियुक्त दीपक के साथ मिलकर वादी मुकदमा सुनील कुमार शर्मा के चाचा जयवीर शर्मा की गला घोटकर एवं उसको चोटे पहुंचाकर हत्या कारित की। मृतक के शव को उसकी ही गाड़ी में जेवा फार्म हाऊस भूङ्गढी पर छोड़कर भाग गए। अभियुक्त विनोद कुमार मृतक का निजी चालक था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर एक विरलतम से विरल अपराध कारित किया। अतः अभियुक्त को दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

19- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है, जोकि घटना को संदेहास्पद होने एवं अभियुक्त को झूठा फंसाये जाना साबित करती है। वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना को होते हुए नहीं देखा है, न ही अभियुक्तगण को मृतक के साथ अपनी आंखों से जाते हुए, देखा है। अतः वादी मुकदमा पी०डब्लू-1 सुनील शर्मा का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत नहीं है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। घटना का हेतुक अभियुक्त विनोद की पत्नी के साथ मृतक जयवीर शर्मा का अवैध सम्बन्ध होना बताया गया है, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा हेतुक को साबित करने के लिए कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन अपने मामले के हेतुक को साबित नहीं कर सका है। अतः याचना है कि अभियुक्त विनोद को दोष मुक्त करने की कृपा की जाए।

20- एफ०आई०आर० के अवलोकन से विदित होता है कि एफ०आई०आर० दिनांक 30-04-2014 को समय 15-30 बजे लिखाई गयी है। मूल तहरीर के अनुसार मृतक अपन घर से अपनी वेगनआर कार सं.-UP 14 BY 2708 से समय 9-30 बजे गाजियाबाद के लिए चला था तथा उसकी लाश उसकी वेगनआर कार में जेवा फार्म हाऊस भूङ्गढी पर पाई गयी थी। हत्या की सूचना थाने पर हरफूल सिंह चौकीदार द्वारा समय 11-40 बजे दी गई। थाने से वादी मुकदमा सुनील कुमार को सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, वादी मुकदमा मौके पर गया और वहां उसने अपने चाचा मृतक जयवीर शर्मा की लाश को देखा। तत्पश्चात कानूनी कार्यवाही करने हेतु उसने एफ०आई०आर० लिखाने हेतु मूल तहरीर प्रदर्श क-1 को राजेश कुमार से लिखवाकर थाने पर दी। इस प्रकार मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० कें लिखाए जाने में जो 2-3 घण्टे का विलम्ब हुआ है, वह स्वभाविक ही है। अतः विलम्ब के आधार पर घटना को संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

21- मूल तहरीर के अनुसार मृतक जयवीर शर्मा की मृत्यु गला घोट कर कारित की गयी है तथा उसकी लाश को वेगनआर गाड़ी में छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अनुसार मृतक के शरीर पर चोटे पाई गई थी तथा गला घोट कर हत्या कारित की गयी है। पंचायतनामा प्रदर्श क-2 से मृतक की लाश को एफ०आई०आर० में बताए गए स्थान पर बरामद होना साबित है तथा पंचों ने मृतक के गले पर हाथों के निशान देखे। इस प्रकार मृतक की मृत्यु गला घोटने से हुई है। यह तथ्य पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एवं पंचायतनामा से साबित है।

22- अभियुक्त विनोद पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्त दीपक कुमार के साथ मिलकर दिनांक 30-04-2014 को जयवीर शर्मा की उनकी गाड़ी वेगनआर में गला घोट कर हत्या की। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या मृतक जयवीर शर्मा की हत्या अभियुक्त विनोद ने ही कारित की है। क्योंकि मृतक जयवीर सिंह की मृत्यु स्वभाविक रूप से नहीं हुई है बल्कि उसकी गला घोट कर हत्या कारित की गयी है।

23- मूल तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार मृतक पेशे से वकील था तथा वह अपने घर से रोजाना गाजियाबाद प्रेक्टिस करने जाता था तथा मृतक की वेगनआर का नम्बर UP 14BY 2708 था और उसको चालक विनोद (अभियुक्त) चलता था। दिनांक 30-04-2014 को भी अभियुक्त विनोद अपने भांजे दीपक कुमार के साथ मृतक की वेगनआर को लेकर समय 9-30 बजे सुबह मृतक के साथ निकला था जिसको वादी मुकदमा एवं साक्षी सं०-2 शर्मानन्द ने देखा था।

24- साक्षी सं०-1 सुनील शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में मूल तहरीर के समस्त कथनों को साबित किया है तथा उसने कहा है कि उसने समय 9-30 बजे अभियुक्त विनोद एवं उसके भान्जे दीपक कुमार को मृतक जयवीर शर्मा की गाड़ी वेगनआर में मृतक के साथ जाते हुए देखा था। साथ ही पी०डब्लू-2 शर्मा नन्द ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा के बयानों की पुष्टि की है। पी०डब्लू-1 की जिरह में यह आया है कि दिनांक 30-04-2014 को मृतक उसके चाचा जयवीर शर्मा जब न्यायालय गए थे तो उनकी कार में तीन व्यक्ति थे। मेरे चाचा, चालक विनोद व एक अन्य था। वह तीसरे व्यक्ति को नहीं जानता था। कार में तीन व्यक्ति थे, यह जानकारी गांव वालों ने उसे दी। वह घटना से पहले दीपक को नहीं जानता था। इस प्रकार इस साक्षी ने मृतक के साथ अभियुक्त विनोद को जाते हुए देखा था। इसकी साक्ष्य की पुष्टि गवाह पी०डब्लू-1 शर्मा नन्द के बयान से हुई है। अतः यह साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी है। इसके साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। इस साक्षी ने घटना का हेतुक मृतक जयवीर शर्मा का अभियुक्त विनोद की पत्नी से नजदीकीया होना बताया है, जिसका समर्थन साक्षी सं०-2 ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि घटना का हेतुक मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बताया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी अथवा दस्तावेजी प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। गवाह पी०डब्लू-2 शर्मा नन्द ने तथा गवाह साक्षी सं०-1 सुनील शर्मा ने मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ देखा हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया है। गवाह पी०डब्लू-2 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि " मैंने सुना था कि मृतक जयवीर शर्मा के विनोद की पत्नी से अवैध सम्बन्ध हो गए थे जिस कारण विनोद मेरे भाई से रंजिश मानता था। " बचाव पक्ष के इस तर्क के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अवैध सम्बन्ध खुलेआम नहीं होते हैं, जिसे कि लोगो के द्वारा देखा जा सके। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दोनों ही

साक्षीगण ने मृतक जयवीर शर्मा का अभियुक्त विनोद की पत्नी से नजदीकीया या अवैध सम्बन्ध के बारे में सुना गया था। इतना ही साक्ष्य अवैध सम्बन्धों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से सम्भव है। अवैध सम्बन्ध बनाते समय देखा जाये या अवैध सम्बन्धों का फोटोग्राफ प्राप्त होना मात्र असामान्य परिस्थिति में सम्भव ही सम्भव होता है, न कि सामान्य परिस्थितियों में। अतः अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह मामले की सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त है। अतः मृतक की हत्या का हेतु साबित है।

25- मूल तहरीर प्रदर्शक-1 के अनुसार मृतक जयवीर शर्मा को अभियुक्त विनोद के साथ जाते हुए, दिनांक 30-04-2014 को समय 9-3- बजे गवाह पी०डब्लू-1 एवं गांव के अन्य लोगों के द्वारा देखा गया था, जिसे पी०डब्लू-2 ने अपने बयान में साबित किया है। तत्पश्चात मृतक की हत्या की सूचना साक्षीगण को मिली। यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक की गाड़ी अभियुक्त विनोद चलाता था, जिसे उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० में स्वीकार किया है। अब अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह यह स्पष्ट करता कि दिनांक 30-04-2014 को वह मृतक की गाड़ी को नहीं चला रहा था और न ही मृतक की गाड़ी लेकर कहीं गया था अथवा वह मृतक को गाड़ी में लेकर किसी निश्चित स्थान पर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया था, परन्तु उक्त सभी तथ्यों को अभियुक्त विनोद की ओर से साबित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से इस तथ्य को भलीभाँति साबित किया गया है कि मृतक को अन्तिम बार अभियुक्त विनोद के साथ मृतक की गाड़ी से जाते हुए देखा गया था। अभियुक्त भी यह स्वीकार करता है कि वह मृतक का चालक था। यह साबित हो जाने के पश्चात कि दिनांक 30-04-2014 को अभियुक्त विनोद मृतक को लेकर उसके घर से चला था, तत्पश्चात मृतक की लाश उसकी गाड़ी वेगनआर में विवेचक द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी प्रदर्शक-14 में दिखाए गए स्थान पर मिली थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का यह दायित्व था कि वह यह साबित करे कि वह मृतक के साथ, उसकी गाड़ी में दिनांक 30-04-2014 को किन परिस्थितियों में नहीं था, ऐसा कोई स्पष्टीकरण अथवा साक्ष्य अभियुक्त के द्वारा नहीं दिया गया है। अतः यह साबित होता है कि मृतक जयवीर शर्मा की मृत्यु अभियुक्त विनोद के द्वारा कारित की गयी है।

26- मृतक जयवीर शर्मा की मृत्यु स्वभाविक रूप से नहीं हुई है। इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन साक्षी सं०-3 डा० किशोर कुमार के बयान से होती है जिसने अपने बयान में यह कहा है कि वह दिनांक 30-04-2014 को संयुक्त जिला चिकित्सालय सैक्टर-1 गाजियाबाद में कार्यरत था। उसी दिन उसके द्वारा रात 7-15 बजे कृत्रिम लाईट में मृतक जयवीर सिंह का पोस्ट मार्टम जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया। मृतक के शव को कां० प्रमोद कुमार एवं कां० सोबरन सिंह थाना मसूरी लेकर आये थे एवं उन्ही के द्वारा शिनाख्त की गयी थी।

बाह्य परीक्षण:-

मृतक सामान्य कद काठी का व्यक्ति था। मृतक के शरीर के ऊपरी हिस्से पर मृत्यु के पश्चात की अकड़न मौजूद थी तथा निचले हिस्से की अकड़न बढ़ रही थी। मृतक की आंखे बन्द थी तथा कन्जस्टडी थी तथा मृतक की नाम से खून आ रहा था।

चोट नं०-1 कनटूजियन (contusion) 3 X 3 Cm जो कि गले के सामने से बीच वाले हिस्से पर left side में मौजूद थी।

चोट नं०-2 कनटूजियन (contusion) 5 X 3.5 Cm जो गले के राईट साईड में बीच

वाले हिस्से में मौजूद थी। इस चोट का आन्तरिक परीक्षण करने पर अन्दर की मसल एवं टीसू Eccymosed हो गया था। इसी चोट के कारण दायड बोन के दोनो कार्नु टूट गये थे।

उपरोक्त चोटो के कारण दीमाग की झिल्लियां फेफड़ो एवं फेफड़ो की झिल्लिया तथा आते कनजस्टिड हो गयी थी। उसकी राय में मृतक की मृत्यु गला घोटने के कारण पोस्ट मार्टम करने के लगभग 18 घण्टे पहले होना सम्भव है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बरवक्त पोस्ट मार्टम तैयार की गई थी, जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होने के कथन के साथ प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी सं०-9 विवेचक एस 0 आई 0 सुबोध कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी को प्रदर्श क-14, आरोप-पत्र को प्रदर्श क-15 के रूप में साबित किया। पी०डब्लू-6 एस०आई० जय किशन ने पंचायतनामा को प्रदर्श क-2 चालान नाश, फोटो नाश, चिड्डी सी०एम०ओ०, नमूना मोहर को प्रदर्श क-7 ता प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया गया है। इस प्रकार मृतक जयवीर शर्मा एडवोकेट की हत्सया होना साबित है।

27- उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृतक जयवीर शर्मा एडवोकेट की मृत्यु गला घोटकर कारित की गयी है जोकि हत्या की श्रेणी में आता है तथा मृतक की हत्या अभियुक्त विनोद द्वारा ही कारित की गयी है, जिसको करने का हेतुक भी अभियुक्त के पास था। अतः अभियोजन पक्ष अपने केस को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा-302 भा०द०सं० संदेह से परे साबित होता है, इसलिए अभियुक्त विनोद अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-302 भा०द०सं० में दोष सिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विनोद कुमार को अधिरोपित आरोप धारा-302 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली मध्यावकाश के बाद पेश हो।

(अमित कुमार प्रजापति)

दिनांक:-25-08-2021

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (E.C.Act),
गाजियाबाद।

25-08-2021

पत्रावली मध्यावकाश के बाद पेश हुई।

अभियुक्त उपस्थित आया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को अभियुक्त दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त अत्यन्त ही गरीब है। अतः प्रार्थना है कि कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा की जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का अपराध गम्भीरतम प्रकृति का है, उसने अधिवक्ता जयवीर शर्मा की हत्या की है तथा वह अधिवक्ता महोदय का चालक था। अभियुक्त ने अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए, गला घोटकर हत्या की है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड देने की याचना है।

पत्रावली पर अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त पर साबित प्रथम अपराध है। अपराध को किए जाने का तरीका एवं प्रकृति, अभियुक्त के मामले को विरल से विरलतक श्रेणी में नहीं लाता है। अतः अभियुक्त विनोद को साबित अपराध अन्तर्गत धारा-302 भा०द०सं० में आजीवन कारावास एवं 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त विनोद को धारा-302 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 10,000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जाए।

अभियुक्त को सजा भुगतने हेतु सजायावी वारण्ट बनाकर, वारण्ट के साथ जिला कारागार भेजा जाए।

(अमित कुमार प्रजापति)

दिनांक:-25-08-2021

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (E.C.Act),
गाजियाबाद।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा, हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(अमित कुमार प्रजापति)

दिनांक:-25-08-2021

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (E.C.Act),
गाजियाबाद।